विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 3247 के उत्तरांश 'क' से संबंधित परिशिष्ट–1

प्रश्न सं. [क. 3247]

1. "अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006:–

"धारा–2–परिभाषाऐं

(झ) "गौण वन उत्पाद" के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर–इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें बांस, झाड़ झंखाड़, ठूठ, बेंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, मूल कन्द और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं।

धारा–3–वन में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकार–

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के सभी वनभूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भूधृति या दोनों को सुरक्षित करते है, अर्थात्:–

(ग) गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है।

2. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996

4. संविधान के भाग 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान मण्डल, उक्त भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, जो निम्नलिखित विशिष्टियों में से किसी से असंगत हो, अर्थात्:–

(ड) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने के दौरान, जो उन्हें स्वायत शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य सुनिश्चित करेगा कि समुचित स्तर पर पंचायतों और ग्रामसभाओं को विनिर्दिष्ट रूप में निम्नलिखित प्रदान किया जाए–

(ii) गौण वन उपज का संसाधन

3. संविधान की 11वीं अनुसूची :–

7. गौण वन उपज

4. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959:–मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 की उपधारा (3) के अंतर्गत वनोपज नियम निर्मित किये गये हैं। इसके अंतर्गत प्रावधान एवं प्रतिबंध समाहित किया गया है। इस नियम की धारा 4 में लघु वनोपज के प्रावधान एवं धारा 8 में कतिपय प्रतिबंध उल्लेखित हैं।

उक्त अधिनियमों में वन अपराध पंजीबद्ध करने का प्रावधान नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

R.

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 3247 के उत्तरांश 'ख' से संबंधित
परिशिष्ट–2

लघु वनोपज के प्रावधानों से संबंधित जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. **भारतीय वन अधिनियम 1927:–**
भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 (4) में वनोपज को परिभाषित किया गया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 में आरक्षित वनों में प्रतिषिद्ध कार्यों एवं इसके लिये कारावास एवं/अथवा जुर्माने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन हेतु वन अपराध प्रकरण दर्ज करने के लिये समस्त वन अधिकारी प्राधिकृत हैं।

धारा 30 (ग) में संरक्षित वनों में वनोपज के संग्रहण एवं परिवहन को प्रतिषिद्ध किया जाना प्रावधानित है तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32 (क), (ग), (घ) एवं (ङ) में संरक्षित वनों के अंतर्गत नियम बनाने हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं एवं धारा 33 में नियमों के उल्लंघन बाबत् शास्तियों का प्रावधान है। इसी प्रकार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 के तहत वनोपज के अभिवहन को विनियमन करने के लिये राज्य शासन को नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है तथा धारा 52 के तहत वाहनों के राजसात एवं धारा 68 के तहत वन अपराध प्रकरणों के प्रशमन के प्रावधान हैं। उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन हेतु वन अपराध प्रकरण दर्ज करने के लिये समस्त वन अधिकारी प्राधिकृत हैं।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 76 (घ) के तहत राज्य शासन को इस अधिनियम के उपबंधों को कियान्वित करने के लिये अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसके तहत मध्यप्रदेश वनोपज (जैवविविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005 बनाये गये हैं, जिसकी धारा 2 (ग), (घ), (ड) एवं (च) में वनों से वनोपज के संग्रहण, प्रतिबंध अवधि निर्धारण एवं निष्कर्षण को प्रतिबंधित करने के प्रावधान हैं। इस नियम की धारा 10 में उक्त नियमों के उल्लंघन हेतु शास्ति का प्रावधान है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन हेतु वन अपराध प्रकरण दर्ज करने के लिये समस्त वन अधिकारी प्राधिकृत हैं।

2. **मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969:–**कतिपय वनोपज के व्यापार को विनियमित करने हेतु मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 2 (घ), (ठ) तथा धारा 5 (ग) में प्रावधान हैं।

उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में प्रयुक्त वाहन के राजसात का प्रावधान धारा 15 में, धारा 16 में शास्ति का एवं धारा 18 में प्रशमन का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन हेतु वन अपराध प्रकरण दर्ज करने के लिये समस्त वन अधिकारी प्राधिकृत हैं।

3. **जैवविविधता अधिनियम 2002:–**
जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7, 23 (ख) एवं 24 के अंतर्गत बोर्ड को जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है।

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन केन्द्रीय सरकार, द्वारा वन अधिकारी जो रेंज ऑफिसर के रेंक से कम न हो, को जैवविविधता अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के संबंध में शिकायत फाईल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

R.